भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *103

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

3 श्रावण, 1940 (शक)

बीपीओ का संवर्धन

***103. डॉ. उदित राज** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशिक्षण और रोजगार में भारत बीपीओ संवर्धन योजना की आज तक की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना से करदाताओं की कीमत पर बहुत अधिक लाभ अर्जन करने वाले निजी संस्थानों/कंपनियों/व्यापारिक घरानों को सहायता और प्रोत्साहन मिलते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बड़ी-बड़ी और सुस्थापित कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों और स्टार्ट-अप/नये उद्यमियों के साथ प्रोत्साहन हिस्सेदारी में भेदभाव किया जा रहा है/उन्हें इससे बाहर रखा जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का बड़ी बड़ी कंपनियों को बाहर रखने हेतु इस योजना में कोई उच्च सीमा निर्धारित करने का विचार है और क्या इसमें न्यूनतम कारोबार आवश्यकता की कोई शर्त है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) भागीदारों/प्रतियोगियों और लघु और नये उद्यमियों की सहायता हेतु सभी के लिए समान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (ड.) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

बीपीओ का संवर्धन के संबंध में दिनांक 25.07.2018 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *103 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) : डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने देशभर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों सहित छोटे शहरों/कस्बों में रोजगार के अवसरों के सृजन और बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों को प्रोत्साहित करने और उद्योग के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) शुरू की हैं। बीपीओ संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 160 कंपनियों को लगभग 41000 बीपीओ/आईटीईएस सीटें आबंटित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 230 यूनिटों की स्थापना की गई है जो 26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 115 स्थानों में वितरित हैं। इनमें से 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 60 स्थानों में वितरित लगभग 2300 सीटों के लिए लगभग 120 यूनिटों ने प्रचालन शुरू कर दिया है। योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों द्वारा रिपोर्ट किया गया प्रत्यक्ष रोजगार वर्तमान में 15000 से अधिक है। बीपीओ/आईटीईएस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग जगत की मानक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बीपीओ योजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक प्राप्त किए अनुभव से यह पता चलता है कि तुलनात्मक रूप से छोटे कस्बों और शहरों में डिजिटल सशक्तीकरण के संकेत देते हुए समाज की मुख्य धारा से पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं के रोजगार के संबंध में बेहतर रुझान प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) और **(ग)** : जी, नहीं। बीपीओ योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के संबंध में सभी इकाइयों (कंपनियों/एलएलपी/कंसोर्टियम) को समान अवसर दिए जाते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वास्तव में सभी आकार की यूनिटें बीपीओ संवर्धन योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकती हैं। स्टार्ट-अप और नवीन उद्यमियों सहित सभी आकार की यूनिटों को भागीदारी करने में समर्थ बनाने के लक्ष्य से इन योजनाओं को तैयार किया गया है। इसके अलावा, इन योजनाओं को तैयार किया गया है। इसके अलावा, इन योजनाओं में कंसोर्टियम बनाने का समर्थकारी प्रावधान है। ये योजनाएं विशेष प्रोत्साहनों के जरिए स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती हैं। आईटी उद्योग वर्गीकरण (नैसकॉम) के अनुसार योजनाओं में भागीदारी करने वाले 97% पात्र बोलीदाता छोटी और उभरती हुई यूनिटों की श्रेणियों में आते हैं और इन यूनिटों को लगभग 80% सीटें आबंटित की गई हैं। छोटे आकार वाली और उभरती हुई इकाइयों को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम और क्रमश: 10 मिलियन अमरीकी डॉलर और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के बीच के टर्नओवर वाली यूनिटों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

(घ) : जी हां, सभी आकार की इकाईयों की व्यापक और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में आईबीपीएस के लिए प्रति बोलीकर्ता 5000 सीटों की अधिकतम सीमा (कैप) रखी गई है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनईबीपीएस के लिए प्रति बोलीकर्ता 1500 सीटों की अधिकतम सीमा (कैप) है। 1 करोड़ रुपए की न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर आवश्यकता को बनाए रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसंरचना की स्थापना और स्थायी प्रचालन के लिए संभावित बोलीकर्ता अपेक्षित मानदंडों को पूरा कर सकें। इसके अलावा, इन योजनाओं में प्रतिपूर्ति आधारित वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

(ड.) : भावी प्रतिभागियों/प्रतिस्पर्धियों की सभी श्रेणियों के लिए समान अवसर सुनिश्चत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और वस्तुत: कार्यान्वयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को डिजाइन किया गया है। कुछ प्रमुख कदमों में निम्नलिखि कदम शामिल हैं:

- भावी प्रतिभागी का न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़ रुपए रखा गया है;
- छोटे बीपीओ प्रचालनों (25 सीट) से लेकर बड़े बीपीओ प्रचालनों (1000 सीट से ज्यादा) तक कई सीट स्लैब के प्रावधान किए गए हैं;
- बोली के मूल्यांकन के समय, छोटी और बड़ी यूनिटों/प्रचालनों के बीच तुलना से बचने के लिए प्रत्येक सीट स्लैब श्रेणी में न्यूनतम बोली को अलग से निर्धारित किया जाता है; और
- प्रचालन की शुरूआत के समय 10% अग्रिम के और प्रावधान के साथ अपेक्षित बैंक गारंटी को लागू वित्तीय सहायता के 10% पर रखा गया है।

****